न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या– 515/2026
भरगामा थाना कांड संख्या– 214/2025

जय कुमार मंडल ..... आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

10-07-2026 अभिरक्षाधीन आवेदक/अभियुक्त जय कुमार मंडल, पिता–अरूण मंडल की ओर से भरगामा थाना कांड संख्या– 214/2025, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 74, 303(2), 352, 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदक इस वाद में दिनांक 03.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद यह है कि दिनांक 15.06.2025 को संध्या 06 बजे में सूचिका राधा देवी के फलदार केला के पेड़ को प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण काट कर गिरा दिया एवं गाली–गलौज करते हुए लप्पड़–थप्पड़ व लाठी से मारपीट करने लगा। इसी क्रम में अभियुक्तगण ने सूचिका को जान मारने की नियत से लोहे का खंती से माथा पर मार दिया जिससे माथा फट गया और खून बहने लगा। इसी क्रम में अभियुक्त अरूण मंडल ने सूचिका को गलत नियत से अर्द्धनग्न कर दिया एवं नाक से सोना का नकमुन्नी एवं गला से चांदी का चैन छीन लिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक द्वारा इस जमानत आवेदन के पूर्व अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1511/2025 श्रीमान के न्यायालय में तथा आपराधिक विविध वाद सं0–76393/2025 माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया था, जिसे खारिज किया जा चुका है, इसके अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध कोई कथित घटना का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक के विरूद्ध जमीनी विवाद के कारण यह झूठा वाद किया गया है। उभय पक्षों के मध्य सुलह–समझौता हो गया है। आवेदक दिनांक 03.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 74, 303(2), 352, 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। अभिलेख के साथ संधि आवेदन संलग्न है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्षों के मध्य सुलह–समझौता हो गया है। कांड दैनिकी के पारा 28 में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जख्म जांच प्रवितेदन निर्गत करने के संबंध में पत्र लिखा गया है, जो कांड दैनिकी के साथ संलग्न है, जिसमें चिकित्सक के द्वारा opinion reserve because x-ray of left elbow not submitted till today बताया गया है, लेकिन कांड दैनिकी के पारा 80 में अनुसंधानकर्ता के द्वारा वादिनी से पूछताछ किया गया, तो वादिनी के द्वारा बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट में सिटी स्कैन एवं एक्स–रे रिपोर्ट का मांग किया तो बतायी कि यह सब नहीं कराये थे, क्योंकि जब हम दवाई खायी थी, तो पूरी तरह से ठीक हो गयी थी। वादिनी के द्वारा एक्स–रे एवं सिटी स्कैन रिपोर्ट नहीं दिया गया। आवेदक अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से ही न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि के आलोक में आवेदक का जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदक द्वारा मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(शशि भूषण कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।